

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/179/2017

प्रवेश तिथि

16-11-2017

निर्णय दिनांक

24-05-2018

01- मु० छन्नो बेवा पन्ना

02- रोहिताश पुत्र स्व० श्री पन्ना

03- लीलाराम पुत्र स्व० श्री पन्ना

04- राकेश पुत्र स्व० श्री पन्ना जातियान मेघवाल (अनुसूचित जाति) निवासीयान रामगढ तहसील रामगढ,
जिला अलवर राज०

अपीलाण्टान

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर



रिपोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 29.08.2016 अन्तर्गत धारा 90-ए भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 69/2015

उपस्थित:-

01- श्री जगदीश चन्द सतीजा

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 29.08.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रामगढ की आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.29 है० में से 20x10 वर्गफुट पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रामगढ की आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.29 है० में से 20x10 वर्गफुट पर अवैध कब्जा मानते हुए अपीलान्ट को अन्तर्गत धारा 90-ए के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 29.08.2016 को बेदखल कर आदेश पारित किया है जिससे अपीलान्ट गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई बिना देशी के 15.11.2017 को आवश्यक दस्तावेज की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधीनियम के साथ पेश किया गया अपीलान्ट को पैनल्टी व लगान से दण्डित किया गया है। वास्तविकता में खसरा नम्बर 681/1 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्मत 2020 खसरा नम्बर 830 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 833 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, 834 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, 829 रकबा 2 बिस्वा कायम हुए जिसके हाल बन्दोबस्त सम्मत 2058 में नये नम्बर खसरा नम्बर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 व 1120 कायम हुआ जिस आराजी का अपीलान्ट के बुजुर्ग जीवा को सम्मत 2003 में पट्टा दिया गया था उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र ताराचन्द, शूरजी, किरोड़ी व धन्ना काबिज होकर काश्त करते रहे। इनके भी देहान्त के पश्चात् मिन अपीलान्टान मृतक कजोडी के वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन अपीलान्टान द्वारा पशुओं को बांधने व कृषि उपज रखने के लिए झोपडी बनाई हुई है जिस झोपडी को सुरक्षा की दृष्टि से पट्टा बना लिया है जिसे व्यावसायिक दुकान मानकर गलत आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त फरमाया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरुद्ध दिनांक 16.11.2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 17 माह विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी प्रार्थना पत्र दफा-5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रुख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न


है अपीलान्त ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित आराजी अपीलान्त के पूर्वजो की आराजी है मौके पर अपीलान्त द्वारा पशुओ के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पक्की झोपडी बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय आदेश में अपीलान्त से सम्परिवर्तन आदेश बाबत कोई जानकारी नहीं की गई ना ही विवादित आराजी को कबजेराज लेने की कोई कार्यवाही नियमानुसार की गई तथा सुनवाई का मौका दिये बगैर निर्णय पारित कर दिया गया जो उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रामगढ का आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त किया जाकर तथा प्रकरण तहसीदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की अपीलान्त की सुनवाई को विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)